

**बिहार सरकार**  
**मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबन्धन विभाग**

**निबन्धन**  
**आदेश**

सं०सं०-Vi / स्था०(अरा०)नि०विविध-29 / 2023.....11/11/23..... / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग के उच्चवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-04) को उच्चतर पद प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-06) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

| क्र०सं० | वरीयता क्रमांक<br>(मूल कोटि) | नाम                             | गृह जिला   | कोटि        |
|---------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1       | 2                            | 3                               | 4          | 5           |
| 1       | 360                          | श्री विनीत कुमार                | पटना       | सामान्य     |
| 2       | 373                          | श्री पवन कुमार                  | सीतामढ़ी   | अ०पि०व०     |
| 3       | 421                          | श्री अशोक कुमार<br>सिंह-02      | बेगूसराय   | सामान्य     |
| 4       | 423                          | श्री शंकर गिरी                  | सीतामढ़ी   | सामान्य     |
| 5       | 427                          | सैय्यद मो० जयाउद्दीन            | बेगूसराय   | सामान्य     |
| 6       | 428                          | श्री ज्ञानेश                    | बेगूसराय   | सामान्य     |
| 7       | 429                          | श्री अशोक कुमार सिंह-1          | बेगूसराय   | सामान्य     |
| 8       | 430                          | श्री प्रवीण कुमार               | बेगूसराय   | सामान्य     |
| 9       | 437                          | श्री जयप्रकाश नारायण<br>पाण्डेय | गोपालगंज   | सामान्य     |
| 10      | 443                          | श्री राजेश कुमार राणा           | पटना       | अनु०जाति    |
| 11      | 447                          | मो० शमीम                        | सुपौल      | सामान्य     |
| 12      | 448                          | श्रीमती कविता कुमारी            | औरंगाबाद   | सामान्य     |
| 13      | 449                          | श्री शैलेश कुमार                | वैशाली     | पिछड़ा वर्ग |
| 14      | 450                          | श्री सुरेश प्रसाद               | प० चम्पारण | अनु०जाति    |
| 15      | 452                          | श्री कुमार अभिषेक               | भोजपुर     | सामान्य     |

| क्र०सं० | वरीयता क्रमांक<br>(मूल कोटि) | नाम                         | गृह जिला  | कोटि        |
|---------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 2                            | 3                           | 4         | 5           |
| 16      | 453                          | श्रीमती रेखा चौधरी          | पूर्णियाँ | अनु०जाति    |
| 17      | 454                          | श्री राजीव कुमार मिश्र      | पूर्णियाँ | सामान्य     |
| 18      | 456                          | श्री सुजीत कुमार            | लखीसराय   | सामान्य     |
| 19      | 457                          | श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा | नवादा     | सामान्य     |
| 20      | 458                          | श्री अभिषेक कुमार           | समस्तीपुर | सामान्य     |
| 21      | 460                          | श्री राकेश कुमार वर्मा      | मधेपुरा   | सामान्य     |
| 22      | 461                          | श्री दिलीप कुमार राम        | मधेपुरा   | अनु०जाति    |
| 23      | 464                          | श्री अमरेश कुमार            | समस्तीपुर | सामान्य     |
| 24      | 469                          | श्री रंजीत कुमार            | गोपालगंज  | सामान्य     |
| 25      | 470                          | श्री आशीष श्रीवास्तव        | सारण      | सामान्य     |
| 26      | 471                          | अखलाकुर रहमान               | मधुबनी    | पिछड़ा वर्ग |
| 27      | 472                          | श्री ज्ञान रंजन             | पटना      | सामान्य     |
| 28      | 473                          | श्री राकेश कुमार पाठक       | सिवान     | सामान्य     |

02. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
03. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल के पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।
04. उपर्युक्त उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल (वेतन स्तर-06) में उत्क्रमित किया जाता है।
05. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं एतद् क्रम में उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य होगा।

06. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश/न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर प्रदान की जाती है।
07. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(डॉ० संजय कुमार)  
उप निबंधन महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- Vi/स्था0(अरा0)नि0.विविध-29/2023 11/47 पटना, दिनांक:- 07.03.25

**प्रतिलिपि**— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सभी संबंधित समाहर्ता सह जिला निबंधक/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी संबंधित जिला अवर निबंधक /सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

  
उप निबंधन महानिरीक्षक,  
बिहार, पटना।